FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवानएसएचओ राजोरी गार्डन, दिल्ली बनाम एसएचओ लक्ष्मणगढ़

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट नम्बर 15/107/2023 दा0दि0 26.05.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी हेड कॉन्स्टेबल लालचन्द, थाना राजोरी गार्डन, दिल्ली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 8032/2023 केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाहन ट्रक सं0 डीएल 1एलएक्स 5436 चोरीशुदा वाहन अभियोग सं0 148/2023 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8 राज0 गोवंशीय पशु नियम 1995 एवं 420 आईपीसी थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में बरामद की हुई है। जिस पर फर्जी नंबर डीएल 1एलके5258 लिखा हुआ है, को केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी थाना लक्ष्मणगढ़ ने अवगत कराया कि अभियोग सं0 148/2023 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8 राज0 गोवंशीय पशु नियम 1995 एवं 420 आईपीसी थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवरजप्तशुदा वाहन ट्रक रजि0 सं0 डीएल 1एलएक्स 5436जिस पर आगे व पीछे की तरफ नम्बर प्लेट पर डीएल 1एलके 5258 लिखा हुआ है, कि वाहन व संबंधित वाहन स्वामी से तफतीस पूर्ण हो चुकी है। अभी तक मुलजिमान का पता नहीं चला पाया है जिनकी तलाश जारी है। वाहन को ट्रांसफर किये जाने में थाना हाजा को कोई ऐतराज नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व रिपोर्ट पुलिस थाना टपूकड़ा पुलिस जिला भिवाड़ी में जप्तशुदा वाहन ट्रक रजि0 सं0 डीएल 1एलएक्स 5436 जिस पर आगे व पीछे की तरफ नम्बर प्लेट पर डीएल 1एलके 5258 लिखा हुआ है, को थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ की अनापत्ति के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना राजोरी गार्डन, दिल्ली को स्थानांतरित करने के आदेश दिये जाते है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर अलवर जिला कलेक्टर, अलवर	